भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4420

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 19 दिसम्बर, 2014/28 अग्रहायण, 1936 (शक) को दिया गया)

सीएसआर में प्रमाण पत्र कार्यक्रम

4420. श्री सी. महेन्द्रन :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कारपोरेट और अन्य क्षेत्रों द्वारा देश में सीएसआर परियोजनाओं को लागू करने के प्रयोजनार्थ प्रशिक्षित कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पेशेवरों की भारी मांग की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स (आईसीए) द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के संबंध में एक प्रमाण पत्र कार्यक्रम शुरू किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रम में कितने उम्मीदवारों ने योग्यता हासिल की है और क्षेत्र-वार कितने उम्मीदवारों को कारपोरेट क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मिला?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (ड.) : कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन स्थापित संस्थान भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) द्वारा सीएसआर के लिए शुरू किए गए समर्थन कार्यक्रमों में प्रशिक्षित सीएसआर व्यवसायिकों की जरूरत सामने आई है जो कारपोरेट की उनकी सीएसआर परियोजनाएं लागू करने में मदद कर सकें। तदनुसार, आईआईसीए ने सीएसआर व्यवसायिकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम के रूप में एक कार्यक्रम "सीएसआर में आईआईसीए प्रमाण पत्र कार्यक्रम (आईसीपी)" शुरू किया है। इस

कार्यक्रम की अवधि नौ महीने है जो प्रारंभ में एक ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) के माध्यम से चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रथम बैच का प्रारंभ हाल ही में 13 अक्तबूर, 2014 को किया गया है।

*****